



प्रेस विज्ञप्ति
15.06.2026

ईडी, देहरादून ने एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में 13.83 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून उप-आंचलिक कार्यालय ने उत्तराखंड में चल रहे एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 13.83 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने उत्तराखंड पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए 2011-12 से 2016-17 की अवधि के दौरान पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के धोखाधड़ी से लाभ उठाने और हेराफेरी करने से संबंधित है।

पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि कुछ निजी शैक्षणिक संस्थानों, अर्थात् मदरहुड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, रुड़की, उत्तराखंड, रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज/मेडिकल साइंसेज (रिम्स), हरिद्वार, उत्तराखंड और महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरठ, यूपी ने अपने प्रबंधन और संबंधित सोसाइटियों/ट्रस्टों के साथ मिलकर, अयोग्य, गैर-वास्तविक और गैर-सत्यापित छात्रों को लाभार्थी के रूप में दिखाकर उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी छात्रवृत्ति निधि को धोखाधड़ी से प्राप्त किया।

जांच से पता चला कि उपरोक्त संस्थानों से संबंधित कुल 6,208 छात्रवृत्ति दावों को जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ), हरिद्वार द्वारा संसाधित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान लगभग 27.98 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि का वितरण हुआ। वितरित की गई कुल राशि में से, लगभग 19.74 करोड़ रुपये सीधे संस्थानों के बैंक खातों में जमा किए गए, जबकि लगभग 8.24 करोड़ रुपये छात्रों के नाम पर रखे गए बैंक खातों में जमा किए गए।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में एक सुनियोजित कार्यप्रणाली का खुलासा हुआ, जिसके अंतर्गत ऐसे विद्यार्थियों के नाम पर छात्रवृत्ति दावे प्रस्तुत किए गए जो या तो वास्तव में नामांकित नहीं थे, नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते थे, शैक्षणिक रूप से पात्र नहीं थे अथवा लागू छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए सत्यापन में प्रवेश, नामांकन तथा परीक्षा अभिलेखों में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई गईं। जांच से यह भी स्थापित हुआ कि कथित लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या या तो परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण थी, अनुपस्थित रही, विश्वविद्यालय के अभिलेखों में उनका कोई पता नहीं था अथवा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के बावजूद उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होता रहा। इन कपटपूर्ण गतिविधियों के परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को अनुचित वित्तीय हानि हुई तथा आरोपित व्यक्तियों एवं उनसे संबद्ध संस्थाओं को अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि कुल 6,208 छात्रवृत्ति दावों में से 2,895 दावे कपटपूर्ण पाए गए। इनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.स.	कोड	विवरण	छात्रों की संख्या	राशि
1	ए	अनुपस्थित	668	3,85,70,640/-

2	बी	असफल/परिणाम लागू नहीं/कोई परीक्षा प्रपत्र नहीं	84	33,65,120/-
3	सी	नामांकित नहीं है या विश्वविद्यालय के साथ पंजीकृत नहीं है/कोई परिणाम नहीं (रिक्त) /कोई डेटा नहीं	1662	7,34,31,400/-
4	डी	पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं है	47	29,75,100/-
5	ई	कॉलेज के डेटा में छात्र नहीं मिला/डुप्लीकेट छात्र.	434	2,00,10,800/-
कुल			2895*	13,83,53,060/-
* यह समेकित आंकड़ा प्रत्येक छात्र को केवल एक बार गिनता है, भले ही उन्हें लगातार वर्षों में या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदनों के माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हो।				

जांच में यह भी पता चला कि कॉलेज प्रबंधन और कर्मचारियों के नियंत्रण में छात्रों के नाम पर बैंक खाते खोले और संचालित किए गए थे। कई छात्र-खातों को खोलने के लिए कॉलेज कर्मचारियों के सामान्य मोबाइल नंबरों का उपयोग किया गया था और प्रवेश और बैंकिंग औपचारिकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए बिचौलियों को लगाया गया था। इस तरह के खातों में जमा छात्रवृत्ति की राशि बाद में संस्थानों को वापस स्थानांतरित कर दी गई या नकदी में वापस ले ली गई, जिससे कल्याणकारी योजना का उद्देश्य विफल हो गया।

ईडी द्वारा किए गए बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि छात्रवृत्ति निधि प्राप्त होने के तुरंत बाद, पर्याप्त राशि विभिन्न शैक्षणिक समितियों, न्यासों, संबंधित संस्थाओं और तीसरे पक्ष को हस्तांतरित की गई, इसके बाद नकद निकासी और स्तरित लेनदेन किए गए। इस प्रकार धन को पात्र एससी/एसटी छात्रों के कल्याण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए मोड़ दिया गया और उपयोग किया गया, जिसमें परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और संस्थानों और उनके नियंत्रण व्यक्तियों द्वारा किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

जांच में यह भी पता चला कि मनिका शर्मा, जो संबंधित शैक्षणिक संस्थानों और शैक्षणिक समितियों के मामलों पर नियंत्रण रखती थी, छात्रवृत्ति निधि की प्राप्ति, उपयोग और हेरफेर के प्रबंधन में शामिल थी। जांच में यह भी पता चला कि छात्रवृत्ति निधि को शैक्षणिक समितियों, ट्रस्टों और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था ताकि अपराध से प्राप्त आगम की प्रकृति, स्रोत और स्वामित्व को छुपाया जा सके। धोखाधड़ीपूर्ण छात्रवृत्ति दावों के माध्यम से अर्जित अपराध के आगम का बाद में धन-शोधन कर उसे विभिन्न चल एवं अचल परिसंपत्तियों में निवेश किया गया।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत की गई जांच में लगभग ₹13.83 करोड़ के अपराध से अर्जित आगम की पहचान एवं परिमाणीकरण किया गया है, जो विभिन्न सोसायटियों के माध्यम से संचालित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एससी/एसटी छात्रवृत्ति निधि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए गए 2,895 फर्जी, अपात्र एवं गैर-वास्तविक छात्रवृत्ति दावों से उत्पन्न हुआ। पहचाने गए अपराध से अर्जित आगम में लगभग ₹2.44 करोड़ न्यू टपल्स एजुकेशन सोसायटी (महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरठ का संचालन करने वाली), लगभग ₹3.95 करोड़ मदरहुड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सोसायटी (मदरहुड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, रुड़की का संचालन करने वाली) तथा लगभग ₹7.44 करोड़ मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सोसायटी (रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़/मेडिकल साइंसेज़, हरिद्वार का संचालन करने वाली) से संबंधित है।

जांच से पता चला है कि धोखाधड़ी से प्राप्त छात्रवृत्ति निधि को अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और अन्य व्ययों के लिए उपयोग करने से पहले इन सोसाइटियों और संबंधित संस्थाओं के खातों के माध्यम से कई स्तरों में बांटा गया और उनका दुरुपयोग किया गया। तदनुसार, ईडी ने लगभग 13.83 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने का एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें हरिद्वार और रुड़की में स्थित सावधि जमा (एफडी) खाता, भूमि के टुकड़े और शैक्षणिक/संस्थागत भवन शामिल हैं, जो उक्त अपराध के आगम से प्राप्त या अधिग्रहित किए गए हैं।

एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाला जांच 2020 से चल रही है। अब तक, ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष 05 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं और मामले में 05 अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किए हैं। वर्तमान कुर्की इस मामले में जारी किया गया छठा अनंतिम कुर्की आदेश है।

आगे की जांच जारी है।



PRESS RELEASE

ED, DEHRADUN PROVISIONALLY ATTACHES PROPERTIES WORTH Rs. 13.83 CRORE (APPROX.) IN SC/ST SCHOLARSHIP SCAM CASE



ED, Dehradun has provisionally attached movable and immovable properties worth **Rs. 13.83 Crore (approx.)** under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the ongoing investigation into the **SC/ST Scholarship Scam in Uttarakhand**.



ED initiated investigation on the basis of FIRs registered by Uttarakhand Police relating to fraudulent availing and siphoning of Post-Matric Scholarships meant for SC/ST students during the period **2011-12 to 2016-17**.

1. INSTITUTIONS INVOLVED

Certain private educational institutions and their management & associated societies/trusts fraudulently obtained scholarship funds by showing ineligible, non-genuine and non-verifiable students as beneficiaries.



Motherhood Institute of Management & Technology (MIMT), Roorkee



Roorkee Institute of Management Sciences / Medical Sciences (RIMS), Haridwar



Mahaveer Institute of Technology, Meerut

2. SCHOLARSHIP FUNDS DISBURSED



Total Scholarship Claims Processed
6,208



Total Amount Disbursed
Rs. 27.98 Crore (approx.)



Rs. 19.74 Crore (approx.)
Credited directly into accounts of institutions



Rs. 8.24 Crore (approx.)
Credited into accounts in the names of students

3. MODUS OPERANDI



Scholarship claims submitted in the names of students who were not genuinely enrolled, not attending classes, academically ineligible or not entitled under the scheme.



Verification by Universities & authorities revealed discrepancies in admission, enrolment & examination records.



Many beneficiaries failed exams, remained absent, not traceable in records or continued to receive scholarships despite not fulfilling eligibility criteria.

Result: Wrongful loss to the Government exchequer and corresponding unlawful gain to the accused & associated entities.

4. DIVERSION OF FUNDS



Bank accounts opened in the names of students under control of college management & staff.



Common mobile numbers of college employees used; middlemen engaged for admissions & banking formalities.



Scholarship amounts credited into such accounts were transferred back to institutions or withdrawn in cash, defeating the objective of the welfare scheme.



Funds transferred to societies, trusts, related entities & third parties, followed by cash withdrawals & layered transactions.



Funds diverted & utilized for purposes other than welfare of eligible SC/ST students, including acquisition of assets & other expenditures.

5. ROLE OF KEY PERSON



Manika Sharma exercised control over the affairs of the concerned educational institutions & societies and was involved in managing the receipt, utilization & diversion of scholarship funds.



Scholarship funds were routed through various bank accounts of educational societies, trusts & related entities to conceal & disguise the nature, source & ownership of the proceeds of crime.



Proceeds of crime generated through fraudulent scholarship claims were laundered and invested in various movable & immovable assets.

6. PROCEEDS OF CRIME (POC) IDENTIFIED

Investigation under PMLA has identified & quantified Proceeds of Crime (PoC) amounting to

Rs. 13.83 Crore (approx.)

arising out of 2,895 fraudulent, ineligible & non-genuine scholarship claims.



Rs. 2.44 Crore (approx.) pertaining to New Tuples Education Society (operating Mahaveer Institute of Technology, Meerut)



Rs. 3.95 Crores (approx.) pertaining to Motherhood Institute of Management & Technology Society (operating Motherhood Institute of Management & Technology, Roorkee)



Rs. 7.44 Crores (approx.) pertaining to Modern Institute of Management & Technology Society (operating Roorkee Institute of Management Sciences/Medical Sciences, Haridwar)

7. PROVISIONAL ATTACHMENT



ED has issued a Provisional Attachment Order attaching movable & immovable properties worth **Rs. 13.83 Crore (approx.)**, derived from or acquired out of the proceeds of crime.

MOVABLE ASSETS



FD Accounts

IMMOVABLE ASSETS



- Land Parcels
- Educational/Institutional Buildings
- Other Immovable Assets

Situated in Haridwar, Roorkee & Meerut

8. STATUS OF INVESTIGATION



The SC/ST Scholarship Scam investigation has been under progress since 2020.



Till date, ED has filed **05** Prosecution Complaints before the Hon'ble Special Court (PMLA), Dehradun.



Till date, ED has issued **05** Provisional Attachment Orders (PAOs) in the case.



THE PRESENT ATTACHMENT IS THE 6TH PROVISIONAL ATTACHMENT ORDER ISSUED IN THE MATTER.



FURTHER INVESTIGATION IS UNDER PROGRESS